



Neutral Citation No.2026:AHC-LKO:21316

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - सी सं. - 2120 वर्ष 2026

मेवा लाल

..... याची (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा सचिव गृह, लखनऊ
एवं 3 अन्य

..... प्रत्युत्तरदाता (गण)

याची (गण) के अधिवक्ता	: अनिल कुमार तिवारी
प्रत्युत्तरदाता (गण) के अधिवक्ता	: मु.स्था.अ.

न्यायालय सं. -8

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह

1. याची के विद्वान् अधिवक्ता और राज्य प्रत्युत्तरदाता की ओर से विद्वान् अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस. के. खरे को सुना, जिन्होंने पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 11.03.2026 के निबंधनों में राज्य-प्रत्युत्तरदाता की ओर से एक प्रति-शपथपत्र दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर लिया गया है। याची के विद्वान् अधिवक्ता ने भी अपना प्रत्युत्तर-शपथपत्र दाखिल किया है और उसे भी अभिलेख पर ले लिया गया है। क्योंकि, पक्षकारों ने अपने अभिवचन का आदान-प्रदान कर लिया है, इसलिए उनकी सहमति से यह रिट याचिका ग्रहण प्रक्रम पर अंतिम रूप से सुनी जा रही है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याची ने जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.06.2022 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याची की शस्त्र अनुज्ञप्ति सं. 475/पुलिस थाना कोतवाली, अयोध्या, एस बी बी एल बंदूक सं. 00241, निरस्त कर दी गई थी। आयुक्त, अयोध्या मंडल, जिला अयोध्या द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 12.12.2025 को भी, जिसमें उक्त आदेश की पुष्टि की गई थी, चुनौती दी गई है।

3. याची का वाद है कि उसकी शस्त्र अनुज्ञप्ति भारतीय आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17(3) के अधीन इस आधार पर निरस्त की गई थी कि उसके विरुद्ध पुलिस थाना-कोतवाली अयोध्या में एक आपराधिक वाद रजिस्टर किया गया था। पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और पुलिस थाना-कोतवाली अयोध्या, जिला अयोध्या में एक वाद, मु0 अपराध सं. 88 वर्ष 2021 रजिस्टर किया गया था, जिसमें आरोप-पत्र दाखिल किया गया है और याची उसी मामले में आदेश दिनांक 17.11.2021 द्वारा जमानत पर है।

4. अग्रेतर निवेदित किया गया है कि याची ने आरोपों से इन्कार किया है और कहा है कि वे मिथ्या हैं। पुलिस थाना कोतवाली अयोध्या, जिला अयोध्या में वाद, मु0 अपराध सं. 88 वर्ष 2021 में, एक आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और याची जमानत पर है, और यह शस्त्र अनुज्ञप्ति निरस्त करने का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि शस्त्र अनुज्ञप्ति प्रयोग के लिए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कोई आरोप नहीं है। याची का अपने शस्त्र की सहायता से अपराध करने का कोई हेतुक या आशय नहीं है। तथापि, 29.06.2022 को अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी गई थी।

5. व्यथित होकर, याची ने उसके बाद आयुध अधिनियम की धारा 18 के अधीन आयुक्त के समक्ष एक अपील अधिमानित की थी, जो अपील सं. 1106 वर्ष 2022, कम्प्यूटरीकृत सं. सी 202204000001106 के रूप में रजिस्ट्रीकृत थी, तथापि, इसे 12.12.2025 को खारिज कर दिया गया था।

6. विद्वान् स्थायी अधिवक्ता ने निवेदनों का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि, क्योंकि याची एक आपराधिक मामले में सम्मिलित था और सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के लिए खतरा था, और अब उपर्युक्त परिस्थितियों में, अनुज्ञप्ति निरस्त की गई थी जिसे स्वच्छंद नहीं कहा जा सकता है, और तदनुसार, याचिका खारिज की जाने योग्य है। इसलिए, अनुज्ञप्ति उचित रीति से निरस्त की गई है, और इसलिए अपील खारिज किया जाना भी सही है, और उपर्युक्त निष्कर्ष तथ्य के निष्कर्ष हैं, जिनमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

7. संबंधित तर्कों पर विचार करने से पूर्व, मेवा लाल एवं कुन्नू बनाम आयुक्त, इलाहाबाद मंडल, इलाहाबाद एवं अन्य, (2014 (32) एल सी डी पृष्ठ 576 में प्रकाशित मामले में दिए गए निर्णय पर विचार करना सुसंगत होगा, जिसमें इस न्यायालय ने, राजेंद्र सिंह बनाम आयुक्त,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



लखनऊ मंडल, लखनऊ, 2011 (29) एल सी डी पृष्ठ 1045) के मामले में दिए गए एक पूर्ववर्ती निर्णय का निर्देश करते हुए, शब्दों, सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक सुरक्षा का अर्थ स्पष्ट किया है, और मेवा लाल (उपर्युक्त) के निर्णय का सुसंगत भाग इस प्रकार है:-

"राजेंद्र सिंह बनाम आयुक्त, लखनऊ मंडल, लखनऊ एवं अन्य, 2011 (29) एल सी डी 1041 में प्रकाशित वाद में, 'सार्वजनिक शांति' या 'सार्वजनिक सुरक्षा' को परिभाषित किया गया है। सुसंगत पैरा 6 एवं 7 निम्नवत् हैं:

6. 'सार्वजनिक शांति' या 'सार्वजनिक सुरक्षा' का अर्थ विधि-व्यवस्था में होने वाली सामान्य अव्यवस्था नहीं है, सार्वजनिक सुरक्षा का अर्थ वृहत् जन की सुरक्षा है, न कि केवल कुछ व्यक्तियों की सुरक्षा। अधिनियम की धारा 17(3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करने से पहले, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वह इस प्रश्न पर अपने मस्तिष्क का प्रयोग करे कि क्या इस मामले में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को कोई आसन्न खतरा अंतर्ग्रस्त था।

7. विधि में यह सुस्थापित है कि केवल किसी आपराधिक मामले का लंबित होना या आयुध अधिनियम के दुरुपयोग की आशंका होना, अधिनियम की धारा 17(3) के अधीन अनुज्ञप्ति के निलंबन या निरसन करने का आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। इस प्रश्न पर कि क्या केवल किसी आपराधिक मामले में सम्मिलित होना या किसी आपराधिक मामले का लंबित होना, आयुध अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



निरस्त करने का आधार बन सकता है, इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा शिव प्रसाद मिश्रा बनाम जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती एवं अन्य के मामले में विचार किया गया था, जिसमें खंडपीठ ने मसीउद्दीन बनाम आयुक्त, इलाहाबाद के पूर्ववर्ती निर्णय पर विश्वास करते हुए संप्रेक्षित किया था कि केवल किसी आपराधिक मामले में सम्मिलित होने से किसी भी तरह से सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक हित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। उक्त विनिश्चयों में प्रतिपादित विधि का बाद में हबीब बनाम उ. प्र. राज्य, 2002 ए सी सी 783 में प्रकाशित वाद में के मामले में अनुसरण किया गया है।"

8. राम चरण बनाम उ.प्र.राज्य एवं अन्य, 2018 (36) एल सी डी 1178, के वाद में इस न्यायालय ने सार्वजनिक व्यवस्था और विधि के उल्लंघन की अवधारणा के बीच के अंतर पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय के पूर्ववर्ती विनिश्चयों पर विश्वास करते हुए, पैरा 11 से 18 में, उन अपेक्षाओं पर विचार किया है जिन्हें शस्त्र अनुज्ञप्ति देने या अपास्त करने के आवेदन पर विचार करते समय ध्यान में रखना अपेक्षित है। सुसंगत पैरा इस प्रकार हैं:

"11. सार्वजनिक व्यवस्था और विधि-व्यवस्था की अवधारणाओं के बीच के अंतर का उल्लेख सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक विनिश्चयों में किया है। यह प्रश्न कि क्या किसी व्यक्ति ने केवल विधि-व्यवस्था का उल्लंघन किया है, या उसने ऐसा कार्य किया है जिससे सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हुई हो, समाज पर प्रभाव पड़ने की

सीमा का प्रश्न है, जो अब कोई अनिर्णीत विषय नहीं है। ए आई आर 1966 एस सी "अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



740, डॉ. राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य, के मामले में संप्रेक्षित किया गया था कि 'विधि' का उल्लंघन सदैव 'व्यवस्था' को प्रभावित करता है, किन्तु किसी उल्लंघन को 'सार्वजनिक व्यवस्था' को प्रभावित करने वाला कहने से पहले, इसे पूरे समुदाय या व्यापक जनसमूह को प्रभावित करना चाहिए। इसके लिए हमें तीन संकेंद्रित वृत्तों की कल्पना करनी होगी, सबसे बड़ा "विधि-व्यवस्था" का प्रतिनिधित्व करता है, उससे छोटा "सार्वजनिक व्यवस्था" का, और सबसे छोटा "राज्य की सुरक्षा" का प्रतिनिधित्व करता है। कोई कार्य "विधि-व्यवस्था" को प्रभावित कर सकता है, किन्तु "सार्वजनिक व्यवस्था" को नहीं, ठीक जैसे, कोई कार्य "सार्वजनिक व्यवस्था" को प्रभावित कर सकता है, किन्तु "राज्य की सुरक्षा" को नहीं।

12. बहुत पहले वर्ष 1966 में डॉ. राम मनोहर लोहिया (उपर्युक्त) के वाद में स्थापित सिद्धांत, बार-बार सम्मान और अनुमोदन के साथ उद्धृत किए गए हैं।

13. 1998 (16) एल सी डी 905, राम मूर्ति मधुकर बनाम जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर में उक्त निर्णय के पैरा 8 एवं 9 में इस न्यायालय ने निम्नवत् निर्णीत किया था:

"8. विधि में यह भी सुस्थापित है कि किसी आपराधिक मामले का लंबित होना मात्र, या आयुध अधिनियम के दुरुपयोग की आशंका, अधिनियम की धारा 17 के अधीन अनुज्ञप्ति के निलंबन या निरसन का आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। इस संबंध में, इस न्यायालय के गणेश चंद्र भट्ट बनाम जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ए आई आर 1993 इलाहाबाद-291) के मामले में विनिश्चय का निर्देश किया जा सकता है।”

9. विधि में यह भी सुस्थापित है कि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन निलंबन या निरसन का आदेश पारित करने से पहले, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को इस प्रश्न पर अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए कि क्या इस मामले में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के लिए कोई आसन्न खतरा अंतर्गुह्य था। अनुज्ञप्ति को 'जनहित' के आधार पर निलंबित या निरस्त नहीं किया जा सकता है।

14. 2002 (44) ए सी सी 783, हबीब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में, उक्त निर्णय के पैरा 3 एवं 4 में निम्नवत् निर्णीत किया गया है:

“3. इस प्रश्न पर, कि क्या किसी आपराधिक मामले में केवल संलिप्तता या किसी आपराधिक मामले का लंबित होना, आयुध अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति निरस्त करने का आधार हो सकता है, इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा शिव प्रसाद मिश्रा बनाम जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती एवं अन्य में प्रकाशित मामले में विचार किया गया है, जिसमें खंडपीठ ने मसीउद्दीन बनाम आयुक्त, इलाहाबाद के पूर्ववर्ती विनिश्चय पर विश्वास करते हुए संप्रेक्षित किया था कि किसी आपराधिक मामले में केवल संलिप्तता किसी प्रकार से सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक हित को प्रभावित नहीं कर सकती है, और आग्नेयास्त्र की अनुज्ञप्ति निरस्त करने या वापस लेने का आदेश अपास्त कर दिया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



गया था। वर्तमान आक्षेपित आदेश भी उसी त्रुटि से ग्रसित हैं, जैसी उपर्युक्त मामलों में खंडपीठ द्वारा इंगित की गई थी। मैं खंडपीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत हूँ कि ये आदेश संधारित नहीं किए जा सकते हैं, और खारिज किए जाने योग्य हैं, और एतद्वारा खारिज किया जाता है।

4. एक अन्य कारण भी है कि वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, याची को उपर्युक्त आपराधिक मामलों से दोषमुक्त कर दिया गया है और वर्तमान में न तो कोई मामला लंबित है, और न ही याची पर कोई दोषसिद्धि अधिरोपित की गई है, जैसा याची द्वारा दाखिल अनुपूरक शपथपत्र के संलग्नक एस ए-1 और II से स्पष्ट है। मामले में इस दृष्टि से, याची आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। याची के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि याची को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है।"

15. 2009 (10) ए डी जे 635, आशिक हुसैन बनाम आयुक्त, मुरादाबाद एवं अन्य के मामले में, निर्ण के पैरा 6 में निम्नवत् निर्णीत किया गया है:

"6. केवल एकमात्र आपराधिक मामले में सम्मिलित होना, आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति निरस्त करने का आधार नहीं हो सकता है, जैसा इस न्यायालय ने मोहम्मद हारून बनाम जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थ नगर [2003 (1) ए सी जे 124] के मामले में निर्णीत किया था, जब तक कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह दर्शित नहीं किया जाता है

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कि सार्वजनिक विधि और व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा था। प्रस्तुत मामले में, यह केवल एकमात्र घटना है, जो सार्वजनिक विधि और व्यवस्था में किसी प्रकार की अशांति से उत्पन्न नहीं हुई थी, जिसे अनुज्ञप्ति निरस्त करने का आदेश देने का आधार बनाया गया है।"

16. 2011 (29) एल सी डी 1045, रमा कुशवाहा बनाम उ. प्र. राज्य एवं अन्य के मामले में, इस न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने उक्त निर्णय के पैरा 10 एवं 11 में निम्नवत् निर्णित किया है:

"10. राम मुरली मधुकर बनाम जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर [1998(16) एल सी डी 905] के मामले में, इस न्यायालय ने निर्णित किया है कि अनुज्ञप्ति को सार्वजनिक हित (जनहित) के आधार पर न तो निलंबित किया जा सकता है और न ही निरस्त किया जा सकता है।"

11. विधि में यह सुस्थापित है कि किसी आपराधिक मामले का केवल लंबित होना, या आयुध अधिनियम के दुरुपयोग की आशंका होना, अधिनियम की धारा 17(3) के अधीन अनुज्ञप्ति निलंबित करने या निरस्त करने का आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। इस प्रश्न पर, कि क्या किसी आपराधिक मामले में केवल सम्मिलित होना, या किसी आपराधिक मामले का लंबित होना, आयुध अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति निरस्त करने का आधार हो सकता है, इस न्यायालय की एक खंडपीठ

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ने शिव प्रसाद मिश्रा बनाम जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती एवं अन्य के मामले में विचार किया गया है, जिसमें खंडपीठ ने मसीउद्दीन बनाम आयुक्त, इलाहाबाद के पूर्ववर्ती विनिश्चय पर विश्वास करते हुए संप्रेक्षित किया था कि किसी आपराधिक मामले में केवल सम्मिलित होने से किसी प्रकार से सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक हित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। उक्त विनिश्चयों में प्रतिपादित विधि का बाद में हबीब बनाम उ. प्र. राज्य, 2002 ए सी सी 783 में प्रकाशित और राम सनेही बनाम आयुक्त, देवी पाटन मंडल, गोंडा एवं अन्य के मामलों में भी अनुसरण किया गया है।"

17. 2011 (29) एल सी डी 829, हीरामणि सिंह बनाम उ. प्र. राज्य एवं अन्य के वाद में, निम्नवत् निर्णय किया गया था:

"8. इस न्यायालय ने अशोक राव बनाम उ. प्र. राज्य एवं अन्य, 2010 (68) ए सी सी 441 में प्रकाशित मामले में भारतीय आयुध अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्रयोग किए जाने वाले प्राधिकार पर विचार करते हुए, यह मत व्यक्त किया है कि किसी आपराधिक मामले का केवल लंबित होना, अग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति निरस्त करने का आधार नहीं हो सकता है, जब तक कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष अभिलिखित न किया जाए कि अग्नेयास्त्र का कब्जा सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने की प्रवृत्ति रखता है।"

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



18. 1994 (12) एल सी डी 1109, अनिल कुमार सिंह बनाम जिला मजिस्ट्रेट,

प्रतापगढ़ के मामले में, उक्त रिपोर्ट के पैरा सं. 6 में निम्नवत् निर्णीत किया गया है:

"6. ...इसलिए, यह स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 6.2.79 पारित करत समय, ऐसा कोई आधार नहीं था, जिस पर याची की बंदूक की अनुज्ञप्ति निरस्त की जा सके। विद्वान् आयुक्त का आदेश पारित होने से पहले ही दोनों आधार समाप्त हो चुके थे, और विद्वान् आयुक्त यह आदेश तब तक पारित नहीं कर सकते थे, जब तक कि उस दिनांक तक याची के विरुद्ध कोई नई सामग्री न हो। इस संबंध में, राम बोध सिंह बनाम उ. प्र. राज्य एवं अन्य, 1985 (11) इलाहाबाद लॉ रिपोर्ट्स, 114 के मामले का निर्देश करना उपयोगी होगा, जिसमें निर्णीत किया गया है कि जब याची उन मामलों से दोषमुक्त हो गया था, तो वे मामले उसकी अनुज्ञप्ति निरस्त करने के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं कर सकते थे। इसलिए, जिस दिनांक को आयुक्त ने अपना आदेश पारित किया था, उस दिनांक के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुज्ञप्ति निरस्त करना जनहित में था, और राज्य द्वारा इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी थी।"

9. आरोप-पत्र के परिशीलन से, स्पष्ट होता है कि याची पर धारा 452, 506, 504, 323, भा.दं.सं. और धारा 3(2)(v), अ.जा./अ.ज.जा. अधिनियम के संबंध में आरोप लगाए गए हैं,

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



तथापि, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिलता है कि अभिकथित अपराध याची ने अपने अग्नेयास्त्र की सहायता से किया था।

10. अभिलेख पर विचार करने पर, प्रथमदृष्ट्या प्रतीत होता है कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी दोनों ने इस प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया था कि क्या निरस्त करने के लिए अभिलिखित कारण विधि की दृष्टि में संधार्य थे, जैसा उपर्युक्त विचार किया गया है। यदि इसे प्रस्तुत मामले में लागू किया जाता है, तो स्पष्ट होता है कि आदेश दिनांक 29.06.2022 एवं 12.12.2025, स्पष्ट रूप से मस्तिष्क का प्रयोग न किया जाना दर्शित करते हैं।

11. इस न्यायालय की राय है कि केवल आशंका को उस वस्तुनिष्ठ संतुष्टि का रूप नहीं दिया जा सकता है कि याची को शस्त्र अनुज्ञप्ति देने से सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक सुरक्षा का उल्लंघन होगा या कोई खतरा होगा।

12. तदनुसार, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है। आदेश दिनांक 29.06.2022 एवं 12.12.2025 एतद्वारा अपास्त किए जाते हैं। मामले में अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को, एतदुपर्युक्त चर्चा की गई विधि के प्रकाश में, विधि के अनुसार, नए सिरे से, याची को सुनवाई का सम्यक् अवसर दिए जाने के पश्चात्, याची के वाद पर पुनर्विचार करने के लिए प्रतिप्रेषित किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



13. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह)

मार्च 25, 2026

हर्षिता

Translated Version. Not for Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”